न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 131/2019 (112/2018)
GCMS NO. : 2018/00002

–:: प्रार्थी ::–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र घीसाराम
जाति–कुमावत निवासी सांगावास
तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. सुकड़ी पत्नि मंगलाराम
2. प्रेमराज पुत्र गणेशराम
3. जस्साराम पुत्र गणेशराम
4. मदनलाल पुत्र गणेशराम
5. लाबूराम पुत्र चौथाराम
6. जोगाराम पुत्र हापूराम
7. गुलाराम पुत्र हापूराम
8. दुर्गाराम पुत्र हापूराम
9. जिमनाई पत्नि हापूराम
जाति–कुमावत निवासी सांगावास
तहसील जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/08/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायलान की सामलाती कृषि भूमि सरहद मौजा सांगावास पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में खसरा नंबर 58 रकबा 11–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आयी हुई है जिसमें सायल एवं गैरसायलान माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है तथा इस भूमि प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। विवादित भूमि सायल एवं गैरसायलान के बीच आपसी सहमति से वर्षो पूर्व से अलग–अलग बंटी हुई हैं एवं उसी अनुसार मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार है एवं काश्त करते आ रहे है तथा गैर सायलान आये दिन माठों को लेकर एवं रास्ते को लेकर विवाद करते रहते है एवं गैर सायलान सायल के हिस्से की भूमि में से रास्ता निकालने पर आमादा है जबकि उपरोक्त विवादित आराजी में सायल एवं गैरसायलान व अन्य खातेदारों की कृषि भूमि आई है गैरसायलान केवल मात्र लाठी के बल पर सायल की हिस्से की भूमि पर रास्ते को लेकर झगड़ा करते रहते है जबकि सायल द्वारा सहखातेदारों को आग्रह करने पर भी नहीं मान रहे है सायल ने कई बार सहखातेदारों से समझाइश कर कहा कि उपरोक्त वर्णित आराजी में नापचोप करके माफिक हिस्से अनुसार शामलाती भूमि में से रास्ता निकाल लिया जाये लेकिन गैर सायलान अपनी हठधर्मिता के कारण विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

जमीन का नापचौप नहीं कर रहे है तथा न ही रास्ता निकाल रहे है एवं कहते है कि हम तो तुमारी ही जमीन में से रास्ता निकाले जबकि प्रतिवीदगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है एवं गैर सायलान अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर काबिज है। तथा सायल के पिता, (पूर्वज) घीसारामजी ने उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि मदनलाल पुत्र श्री जवानमल, मांगीलाल पुत्र श्री गुदड़मल जी एवं मंगलचंद पुत्र श्री मोहनलालजी से खरीद की हुई है। सायल अपने पैतृक हिस्से एवं अपने पिता घीसारामजी द्वारा खरीद की गई भूमि को उपयोग/उपभोग करते आ रहे है तथा सभी खातेदारों की आपसी सहमति से कई वर्षों से बंटवाड़ा हो रखा है लेकिन गैर सायलान झगड़ालू प्रवृति के है जो आये दिन माठो एवं रास्तों को लेकर सायल के हिस्से की भूमि में दखलंदाजी एवं दस्तअंदाजी करते रहते हैं एवं सायल की भूमि को जोत कर लेते है सायल की बोई गई फसल में नुकसान कारित करते है तथा गैर सायलान ऐलानिया धमकी देते कि उपरोक्त वर्णित आराजी में जो 1/2 भूमि घीसारामजी द्वारा खरीद की गई है उस भूमि को हम अकेले तुझे नहीं बोने देगे। उक्त भूमि में से हम भी हिस्सा लेंगे जबकि उक्त भूमि में घीसारामजी के वारिसान का कई वर्षों से कब्जा है एवं काश्त करते आ रहे है गैर सायलान को बिना किसी हक अधिकार के सायल की भूमि को खुर्द-बुर्द कर देगे एवं बोई हुई भूमि में से गैरसायलान अपने वाहन ट्रेक्टर इत्यादि निकाल कर नुकसान कारित करते है एवं सायल के हिस्से में की गई तारबंदी इत्यादि को भी खुर्द-बुर्द कर देगे तो सायल को आर्थिक रुप से भी हानि होती है जिसकी क्षतिपूर्ति कतई संभव नहीं है तथा सायल अकेला है एवं गैर सायलान अधिक संख्या में है एवं धनबल में समर्थ है। एवं गैर सायलान के अपने समाज में भी बोलबाला है तथा गांव में समाज के पंचों को इकट्ठा करके सायल को गांव से बाहर करवाने कि धमकिया देते है इस प्रकार से गैर सायलान आये दिन विवाद करते रहते है तथा दिनांक 06-05-2018 को गैर सायलान सायल के खेत की माठ बिखेर कर एवं खन्दक तोड़कर सायल के खेत में से अवैध रुप से रास्ता बनाने पर आमादा है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अदालत श्रीमान् के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाब अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैर सायलान के पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी सायल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टिया केस सायल के पक्ष में बहूत ही मजबूत है यदि गैर सायलान लाठी के बल पर गैर कानूनी रुप से सायल के कब्जे काश्त में जमीन में से रास्ता निकाल देगे तो सायल को गैरसायलान के विरुद्ध विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करनी पड़ेगी जिससे सायल अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा एवं सायल को असीम नुक्शान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगे एवं मौके पर सायल का अपने हिस्से माफिक कब्जा काश्त होने से सु[illegible] का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखुबी साबित हैं। इसलिए [illegible] के अपने हिस्से की जमीन से रास्ता निकालने व सायल के [illegible] प्रकार की दखलन्दाजी करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा सांगावास पटवार हल्का सांगावास में स्थित खसरा नम्बर अव्वल की भूमि पर 58 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी सायल अपने माफिक हक हिस्से अनुसार काबिज होकर मौके पर काश्त करता है सायल के हिस्से कि भूमि में गैरसायलान स्वयं व उनके परिवार के सदस्य, नौकर, हाली, एजेन्ट आदि कोई किसी प्रकार रास्ता कायम नहीं करे एवं सायल के हक हिस्से माफिक काश्त करे या किसी से करवावे तो उसमें भी दखलन्दाजी नहीं करे व न ही करवावे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा बावजूद प्रा.पत्र सूचना/ईतला के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू–अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2074–77 ग्राम सांगावास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित सह–खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी द्वारा वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। चुंकि सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में सह–खातेदारों के मध्य विवाद के समाधान के लिए कानूनन हिस्सेनुसार बंटवाड़ा ही समाधान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः केवल एक सहखातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। अतः अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:52 IST
Reason: SelfAttested